न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिक्री 27/2022
पंजीयन दिनांक 14.02.2022

मैसर्स गायत्री मिनरल्स जरिये भागीदारः-
(1). मदनलाल पिता नाथूलाल जाति मालानी निवासी सुखाड़िया नगर, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
(2). नितेश पिता मदनलाल जाति मालानी निवासी सुखाड़िया नगर, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

-अपीलांट्गण

बनाम

(1). शिवनारायण पिता मिट्ठुलाल जाति महाजन निवासी बबराना तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।
(2). रामसहाय पिता मिट्ठुलाल जाति महाजन निवासी बबराना तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।
(3). गोविन्द पिता मिट्ठुलाल जाति महाजन निवासी बबराना तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।
(4). कंचन पिता मिट्ठुलाल जाति महाजन निवासी बबराना तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।
(5). राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(6). राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार भूपालसागर तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।

-रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
प्रकरण संख्या 32/2015 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.01.2022

उपस्थित वक्त बहस-(1).छोगालाल जाट -अधिवक्ता अपीलांट्गण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

(2). सावन श्रीमाली - रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4

(3). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 5 व 6

निर्णय **दिनांक 27.10.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 ने वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 के मौजा बबराना तहसील भूपालसागर की साबिक आराजी संख्या 1324मीन रकबा 41 बीघा 3 बिस्वा कृषि भूमि मे से 10 बीघा कृषि भूमि वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 के पिता को आवंटित हुई जो नामान्तरण संख्या 160 दिनांक 16.05.1971 से आवंटी के गैर खातेदारी मे दर्ज हुई। उक्त आवंटित कृषि भूमि के नवीन आराजी संख्या 1324/7 रकबा 10 बीघा कायम हुए। नामान्तरण संख्या 544 दिनांक 28.02.1980 गैर खातेदारी से खातेदारी मे दर्ज हुई। वक्त आवंटन से आवंटनशुदा कृषि भूमि पर वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 के पिता तथा उसकी मृत्यु के बाद वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। नवीन सेटलमेन्ट मे साबिक आराजी संख्या 1324/7 के नवीन आराजी संख्या 1822 रकबा 0.18 हैक्टेयर , आराजी संख्या 1823 रकबा 0.08 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1824 रकबा 1.40 हैक्टेयर , आराजी सख्या 1819 रकबा 0.21 हैक्टेयर , आराजी संख्या 2077/1824 रकबा 0.65 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2078/1824 रकबा 0.46 हैक्टेयर कायम किए गए। वक्त सैटलमेन्ट संहवन से नवीन कृषि आराजीयात मे से आराजी संख्या 1822 रकबा 0.18 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1823 रकबा 0.08 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.26 हैक्टेयर वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज की व शेष आराजीयात को बिलानाम दर्ज कर दिया। नवीन आराजी संख्या 1824 रकबा 1.40 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1819 रकबा 0.21 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2077/1824 रकबा 0.65 हैक्टेयर मे से 0.15 हैक्टेयर , आराजी संख्या 2078/1824 रकबा 0.46 हैक्टेयर मे से 0.14 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.90 हैक्टेयर बिलानाम दर्ज कर दी जबकि चारों कृषि आराजीयात जिसका कुलिया रकबा 1.90 हैक्टेयर वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। अन्त मे वादपत्र वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 स्वीकार किया जाकर आराजी संख्या 1824 रकबा 1.40 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1819 रकबा 0.21 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2077/1824 रकबा 0.65 हैक्टेयर मे

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

से 0.15 हैक्टेयर, आराजी सख्या 2078/1824 रकबा 0.46 हैक्टेयर मे से 0.14 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.90 हैक्टेयर की घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 के द्वारा वादपत्र मे चाही गई।

उक्त आशय का वादपत्र वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 व मृतक गीताबाई एवं मूलीबाई की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर वादपत्र वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण संख्या 5 व 6 प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के द्वारा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बबराना तहसील भूपालसागर की साबिक आराजी संख्या 1324/7 रकबा 10 बीघा मिट्ठुलाल के नाम दर्ज थी, वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 स्वयं सिद्ध करावे। आराजी संख्या 1822 व 1823 साबिक आराजी संख्या 1324/7 से बनी हो तो वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 स्वयं सिद्ध करावें व अस्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत किया। आराजी संख्या 1824 कमिश्नर रिपोर्ट मे नये पुराने नक्शे के मिलान से साबित नहीं होता है। आराजी संख्या 1824 पर खातेदारी चाहने हेतु वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 स्वयं सिद्ध करावें।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने वादीगण रेस्पोडेन्टगण सख्या 1 से 4 के वादपत्र व रेस्पोडेन्टगण संख्या 6 की ओर से प्रस्तुत जवाबदावे के अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने तीन तनकीयात कायम की एवं उक्त तनकीयात पर साक्ष्य लिवायी जाकर रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को प्रमाणित होना मानते हुए वादपत्र वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 डिक्री किया गया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट्गण की ओर से प्रथम अपील प्रार्थना-पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी के आवेदन के साथ इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

न्यायालय हाजा मे अपीलांट्गण की ओर से अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल मिसल की गई व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपीलांट्गण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे पक्षकार मुकदमा नहीं रहे है, जिससे अपीलांट्गण ने धारा-96 जाप्ता दीवानी के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की है। आवेदन मे वर्णित तथ्य व आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज खनन पट्टा, सहमति

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

पत्र , विक्रय इकरार व राज्य सरकार के द्वारा जारी आदेश दिनांक 19.12.2017 व संयुक्त सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 02.11.2006 व जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ के द्वारा जारी आंवटन आदेश दिनांक 21.03.2007 के अवलोकन से अपीलांट्गण जो साझेदार होकर प्रभावित पक्षकार है जिससे अपीलांट्गण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-96 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर अपीलांट्गण को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अधिवक्ता अपीलांट्गण ने अपील मेमो मे वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बहस मे निवेदन किया कि विवादित कृषि आराजीयात भू-प्रबन्ध के समय से बिलानाम सरकार दर्ज रेकॉर्ड रही है व उसके पश्चात उक्त भूमि से आराजी सख्या 1824, 1819, 2077/1824, 2078/1824 बिलानाम भूमि होने से राज्य सरकार ने खनन विभाग के लिए खनन क्षेत्र मानते हुए आवंट्ति की है। साथ ही खनन विभाग के द्वारा दिनांक 28.03.2007 को दिनेश कुमार, अशोक कुमार व श्यामलाल के पक्ष मे खनन पट्टा जारी किया गया। पट्टाधारी दिनेश कुमार, अशोक कुमार व श्यामलाल ने अपीलांट को उक्त लीज हस्तांतरित कर दी। वर्तमान मे अपीलांट्गण उक्त खनन भूमि पर खनन कार्य कर रहे है। वक्त वादपत्र प्रस्तुति उक्त भूमि कृषि भूमि नहीं होकर खनन भूमि रही है। जिसमे खनन विभाग व पट्टाधारी आवश्यक पक्षकार थे, फिर भी वादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 4 ने अपीलांट्गण व खनन विभाग को पक्षकार मुकदमा बनाये बगैर वादपत्र प्रस्तुत कर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय से रेस्पोडेन्ट्गण सख्या 1 से 4 वादीगण ने रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 5 व 6 के विरूद्ध डिक्री प्राप्त की है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादीगण रेस्पोडेन्ट्गण सख्या 1 से 4 ने जिस आराजीयात के संबंध मे घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती चाही है, उक्त आराजीयात कृषि भूमि नहीं होकर खनन भूमि थी जिससे वादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 4 व मृतक गीताबाई, मूलीबाई की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं था फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने वादपत्र मे निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादीगण संख्या 4 व 6 गीता व मूली का वादपत्र विचाराधीन रहते हुए स्वर्गवास हो चुका था, फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने मृतक गीता व मूली के पक्ष मे निर्णय व डिक्री पारित की है। वादपत्र मे खनन विभाग व लीज होल्डर आवश्यक पक्षकार थे। वादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 4 ने दौराने वाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 08.10.2021 को प्रस्तुत किया जो खनन विभाग के विरुद्ध प्रस्तुत किया था व इसमे यह माना था कि आराजी संख्या 1822, 1823 व 1824 मे खनन विभाग किसी प्रकार का खनन कार्य नहीं करे जिससे भी यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि खनन विभाग को खनन कार्य हेतु आवंट्ति हो चुकी थी,

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

फिर भी मूलवाद मे खनन विभाग व पट्टेधारी को पक्षकार मुकदमा बनाये बगैर वादपत्र डिक्री किया गया है जिससे अपीलांट्गण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 वादीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि विवादित भूमि साबिक आराजी सख्या 1824/7 से रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 4 वादीगण के पिता को आवंटित हुई थी। सेटलमेन्ट के दरम्याद नवीन आराजी संख्या 1822, 1823 व 1824 बिलानाम दर्ज कर दी गई जिससे रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 4 वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया गया उससे पूर्व ही सन् 2006 से इन्द्राज दुरूस्ती का वादपत्र विचाराधीन था। वादपत्र के विचाराधीन रहते हुए विवादित आराजीयात को जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ के आदेश कमांक/राजस्व/12-12(20)/2006 दिनांक 27.03.2007 से खनन विभाग को आवंटित की गई है जो वादपत्र के विचाराधीन रहते हुए आवंटित हुई है। प्रकरण मे भूमिधारी व जिला कलक्टर पूर्व से ही पक्षकार रहे है। ऐसी स्थिति मे खनन विभाग व पट्टाधारी को वादपत्र मे पक्षकार कायम किया जाना आवश्यक नही था। यदि खनीज विभाग व पट्टाधारी वादपत्र से प्रभावित थे तो वह स्वयं भी वादपत्र के विचाराधीन रहते हुए पक्षकार मुकदमा बन सकते थे। खनीज विभाग व पट्टाधारी की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे ऐसा कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं हुआ जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 4 व मृतक गीताबाई व मूलीबाई के पक्ष मे वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए गुणावगुण पर निर्णय व डिक्री किया है, जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्यायोचित होकर अपीलांट्गण की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री मे वर्णित आराजीयात कृषि भूमि नही होकर खनन भूमि होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण नयायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री क्षेत्राधिकार से परे होने व दस्तावेजी साक्ष्यों से रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 4 का वादपत्र प्रमाणित नहीं होने व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 03.01.2022 मे उक्त आराजीयात पर खनन कार्य होना पाया गया है जिससे भी वादपत्र मे खनीज विभाग व पट्टाधारी आवश्यक पक्षकार होते हुए उन्हे पक्षकार नहीं बनाते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने मृतक वादी गीताबाई व मूलीबाई के पक्ष मे जो निर्णय व डिक्री पारित की है उन्हे विधि सम्मत नहीं होना मानते हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपील स्वीकार कर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे मौजा बबराना तहसील भूपालसागर की खनन कार्य हेतु आवंटित आराजी संख्या 1824 रकबा 1.40 हैक्टेयर , आराजी सख्या 1819 रकबा 0.21 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2077/1824 रकबा 0.65 हैक्टेयर मे से 0.15 हैक्टेयर व आराजी संख्या 2078/1824 रकबा 0.46 हैक्टेयर मे से 0.14 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.90 हैक्टेयर भूमि की घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 वादीगण व मृतक वादिया गीताबाई मूलीबाई के पक्ष मे पारित की है। अपील के साथ प्रस्तुत आदेश जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ दिनांक 21.03.2007 से मौजा बबराना की आराजी संख्या 1824, 2077/1824 व 2078/1824 खनन कार्य हेतु आवंटित की गई। उससे पूर्व खनन विभाग के द्वारा दिनांक 02.11.2006 से उक्त आराजीयात के संबंध मे संयुक्त सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 वादीगण ने वादपत्र के विचाराधीन रहते हुए दिनांक 08.10.2021 को खनीज विभाग के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र इसी वादपत्र के आधार पर प्रस्तुत किया है जिसमे खनीज विभाग को खनन कार्य रोकने का निवेदन किया जिसमे खनीज विभाग की ओर से दिनांक 10.11.2021 को जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमे स्पष्ट किया गया है कि अपीलांट्गण के पक्ष मे दिनांक 30.03.2007 को खनन पट्टा पंजीकृत हो चुका है व वर्तमान मे अपीलांटगण खनन पट्टे के आधार पर खनन कार्य कर रहा है। वैध स्वामी को नियमानुसार रोकने का कोई आधार नहीं है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत हुआ। जवाबदावे मे यह तथ्य अंकित किये कि आराजी संख्या 1824 के साबिक आराजी संख्या 1324/7 नही होकर आराजी संख्या 1324/9 से बना है व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल मे भी नवीन आराजी संख्या 1824 जो कि साबिक आराजी संख्या 1324/9 से बनना अंकित है, जिससे स्पष्ट है कि नवीन आराजी संख्या 1824 रकबा 1.40 हैक्टेयर रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 वादीगण के साबिक आराजी संख्या 1324/7 से नही बनकर आराजी संख्या 1324/9 से बना है। उक्त तथ्यों का विश्लेषण किए बगैर एवं वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 ने अपीलांटगण व खनन विभाग को पक्षकार मुकदमा बनाये बगैर वादपत्र मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री मृतक वादिया गीताबाई व मूलीबाई की कायम मुकाम की कार्यवाही किए बगैर मृतक के पक्ष मे निर्णय व डिक्री पारित की है जिसमे

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलांट्गण व खनन विभाग आवश्यक पक्षकार है उनको पक्षकार बनाये बगैर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने वादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 4 व मृतक गीताबाई व मूलीबाई के पक्ष मे बिना नामकायमी की कार्यवाही किए निर्णय व डिक्री पारित की है जो न्यायोचित व विधि सम्मत नहीं होने से अपीलांट्गण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट्गण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर प्रकरण संख्या 32/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 27.01.2022 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मृतक वादिया गीताबाई मूलीबाई के कायम मुकाम की कार्यवाही कर अपीलांट्गण व खनन विभाग को प्रतिवादीगण के रूप मे पक्षकार मुकदमा कायम कर प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी की पालना करते हुए अजसरे, नवनिर्णय पारित करें। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 02.12.2022 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)